



2026:AHC:38385-DB

**उच्च न्यायालय इलाहाबाद
आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका सं - 1276/2026**

राम सिंह @ आहे एवं 4 अन्य

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : मो. उबैद खान

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : फखरुज्जमान, जी. ए.

न्यायालय क्रमांक - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.), प्रतिवादी सं.4 के विद्वान अधिवक्ता श्री फखरुज्जमान को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. सर्वप्रथम, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय में कथन दिया कि वह इस रिट याचिका प्रस्तुत नहीं करना चाहते और इसे वापस लेना चाहते हैं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. प्रतिवादी सं.4 के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) को उपरोक्त प्रार्थना से कोई आपत्ति नहीं है।

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, यह रिट याचिका वापस ली गई मानकर खारिज की जाती है।

20 फरवरी, 2026

(न्यायमूर्ति, अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति, राजीव गुप्ता)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”